डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मई, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 मई, 2022

| वर्ष 65 | अंक 23 | भोपाल | 1 मई, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न

नई दिल्ली। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को उचित गति प्रदान करने तथा सहकार से समृद्धि की प्राप्ति के उद्देश्य से नए सहकारिता मंत्रालय का गठन दिनांक 6 जुलाई 2021 को किया| गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सतत उद्यमशीलता के साथ प्रगति करते हुए नई सहकारिता नीति तथा योजनाओं के सृजन पर कार्य कर रहा है|

इस पृष्ठभूमि में, 12-13 अप्रैल,2022 को नई दिल्ली में सहकारिता नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया| सम्मेलन का उद्घाटन गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया। सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा ने भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दिन दो दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव तथा संयुक्त सचिव, 36 राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और रजिस्ट्रार सहकारिता, 40 सहकारी तथा लगभग 40 सहकारी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों एवं सहकारी संगठनों के प्रमुख तथा सदस्यों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन को छह महत्वपूर्ण विषयों में संरचित किया गया था जिसमें न केवल सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र को शामिल किया गया था बल्कि उनके व्यवसाय और शासन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया था। पैनल चर्चा निम्नलिखित विषयों पर आयोजित की गई है:

(i) वर्तमान कानूनी ढांचा, नियामक नीति की पहचान, संचालन संबंधी बाधाएं और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय जिससे व्यापार करने में आसानी हो और सहकारी समितियों और अन्य आर्थिक संस्थाओं को एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।

इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. जी.आर. चिंताला, अध्यक्ष, नाबार्ड और श्री टीवीएसएन प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के साथ श्री. बीएल मीणा, अपर. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सह-अध्यक्ष थे।

(ii) सहकारी सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की बढ़ती भागीदारी, पारदर्शिता, नियमित चुनाव, मानव संसाधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय और

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा - सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया

सहकारी समितियों में आर्थिक गड़बडिय़ों के मामलों में सख्त हो कार्रवाई

ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभान्वित करें केसीसी योजना से

भोपाल : सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आर्थिक गड़बडिय़ाँ रोकने के लिए प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में आर्थिक गड़बडिय़ों के मामलों में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री श्री भदौरिया ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी योजना का लाभ देने के सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया ने रविवार को बैतूल जिला मुख्यालय पर सहकारिता विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक की ऋण वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वसूली बेहतर होगी तो किसानों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। सांसद श्री डी.डी. उइके, पूर्व मंत्री एवं विधायक सिलवानी श्री रामपाल सिंह, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता श्री अभय खरे सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री श्री भदौरिया ने खरीफ सीजन के लिए खाद के अग्रिम भंडारण की जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों को खाद वितरण में कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पशु एवं मछली पालकों को भी केसीसी योजना का लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखा जाए। फसल बीमा का लाभ एक ही बैंक से मिले, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने सुझाव दिया कि जिले में जिन सहकारी समितियों से ग्रामों की दूरी 20 किमी से अधिक है एवं किसानों को इन समितियों तक आने में असुविधा होती है, वहाँ पुनर्सीमन कर किसानों की सुविधा

(शेष पृष्ठ 6 पर)

गेहूँ उपार्जन और भुगतान की स्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रतिदिन अवगत कराया जाए : मुख्यमंत्री श्री चौहान

कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने बनाई जाए प्रभावी रणनीति

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रदेश के गेहूँ के निर्यात का अधिकाधिक देशों तक करें विस्तार

किसानों को भुगतान में न हो विलम्ब

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की गेहूँ निर्यात तथा रबी उपार्जन की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें। गेहूँ, धान, कपास, सोयबीन डी.ओ.सी सहित फल- सब्जी आदि के निर्यात की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में गेहूँ निर्यात तथा रबी उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। किसान- कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य ने प्रदेश के गेहूँ के निर्यात की संभावनाओं को विश्व के विभिन्न देशों तक विस्तार करने का अवसर प्रदान किया है। इस दिशा में सक्रियता से कार्य करना होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के बाहर के निर्यातकों को पंजीकृत करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में दल भेजे गए हैं। इजिप्ट को गेहूँ निर्यात करने गतिविधियाँ भी जारी हैं। मार्च माह से अब तक निर्यात के लिए 123 रेलवे रैक रवाना किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी उपार्जन की समीक्षा में निर्देश दिए कि गेहूँ उपार्जन और भुगतान की प्रतिदिन की स्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। भुगतान के संबंध में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन एवं परिवहन भुगतान की स्थिति तथा बारदाना की व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन के लिए गेहूँ लाने वाले किसानों की सुविधा और हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। उपार्जन के लिए आए गेहूँ को रखने के लिए गोदाम उपलब्ध कराने, गेहूँ का मूल्यांकन कर तत्काल 75 प्रतिशत भुगतान कर शेष पूर्ण भुगतान ई-ऑकशन उपरान्त करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 4 हजार 221 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंडियों में 22 लाख 81 हजार 542 मीट्रिक टन गेहूँ की अब तक आवक हुई है। कुल 19 लाख 81 हजार 506 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है और 9 लाख 3 हजार 142 स्लाट बुक किए गए हैं।

तेंदूपत्ता संग्रहण दर अब 3 हजार रुपये प्रति मानक बोरा

प्रदेश के 45 लाख तेंदपत्ता संग्राहक होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा पर वन विभाग ने जारी किये आदेश

भोपाल : प्रदेश के 45 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित कर दी गई है। वन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल, 2022 को वन समितियों के सम्मेलन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2021 तक संग्रहण दर 2500 रूपये प्रति मानक बोरा थी। इस वर्ष 16.29 लाख मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है।

म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य राज्य लघु

वनोपज संघ द्वारा किया जाता है। प्रदेश में 60 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों और 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहीत किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 45 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक हैं। इनमें से 50 फीसदी से ज्यादा 23 लाख संग्राहक जनजाति वर्ग के हैं। इसी तरह 40 फीसदी महिला संग्राहक भी हैं।

इस वर्ष 500 करोड़ रूपये का पारिश्रमिक मिलेगा

इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण की दर में बढ़ोत्तरी से संग्रहण कार्य में संलग्न संग्राहकों को 500 करोड़ रूपये का संग्रहण पारिश्रमिक मिलेगा। यह पिछले वर्ष की तुलना में 81 करोड़ रूपये का अतिरिक्त पारिश्रमिक होगा, जिससे ग्रीष्म ऋतु में रोजगार के अतिरिक्त साधन के रूप में उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

लाभांश भी मिलता है तेंदूपत्ता संग्राहकों को

प्रबंध संचालक श्री सिंह ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि भी वितरित की जाती है। इस वर्ष से लाभांश के शुद्ध लाभ का 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किए जाने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है।

सायबर सिक्योरिटी पुख्ता करेंगे सहकारी बैंक

म.प्र. के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक भी अब सायबर सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। इसके लिये नीति भी बनेगी। लखनऊ के नाबार्ड ''बर्ड'' द्वारा भोपाल, राजगढ, सीहोर, विदिशा, रायसेन, बैतूल, सागर, और होशंगाबाद सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों को इसके मद्देनजर ट्रेनिंग दी जा रही हैं। ये बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ कोर बैंकिंग के जरिए मैदान मे व्यवसाय बढाने की तैयारी कर रहे है। लिहाजा सुरक्षा जरूरी है। अपेक्स बैंक में हुए सेमिनार में बर्ड के प्रतिनिधि विभू प्रसाद कर व जॉन आर ब्लाह ने सायबर सिक्योरिटी से लेकर जितने भी सवाल थे, उनका सामाधान किया।

3.77 लाख किसानों को 1641 करोड़ रूपये का ऑनलाइन भुगतान - प्रमुख सचिव किदवई

भोपाल : प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में बुधवार तक 31 लाख 46 हजार 96 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। अब तक 3 लाख 77 हजार 278 किसानों को 1641 करोड़ 7 लाख रूपये उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किये गये है। उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिये पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है।

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि 27 अप्रैल को एक दिन में 2 लाख 28 हजार 825 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। इसमें 29 हजार 681 किसानों को 543 करोड़ 7 लाख रूपये की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया

धरती को अन्न उत्पादन के योग्य बनाए रखना है तो अपनाना होगी प्राकृतिक खेती : मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय रखने पर उपलब्ध कराए जाएंगे 900 रुपये प्रति माह

प्राकृतिक खेती किट खरीद पर 75 प्रतिशत की सहायता

राज्य में मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गठित

मुख्यमंत्री श्री चौहान नीति आयोग की नवोन्वेषी कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला में वर्चुअली हुए शामिल

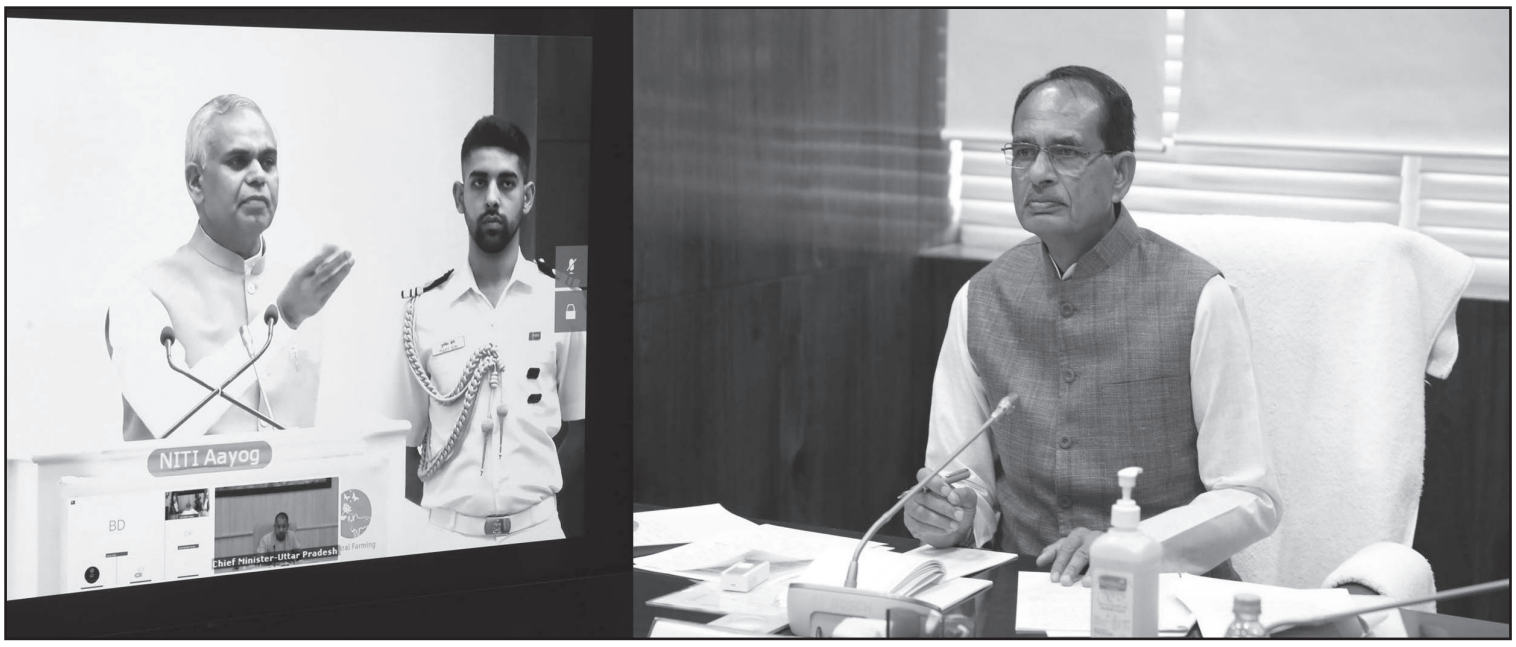

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हरित क्रांति में रसायनिक खाद के उपयोग ने खाद्यान्न की कमी को पूरा किया, परंतु अब इसके घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। रसायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से धरती की सतह कठोर और मुनष्य रोग ग्रस्त होता जा रहा है। इसके उपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जो प्राकृतिक खेती से ही संभव है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्राकृतिक खेती का विजन धरती के संरक्षण का विजन है। उनका आहवान हमारे लिए मंत्र है। यदि धरती माँ को रसायनिक खाद और कीटनाशकों से बचाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को रहने और अन्न उत्पादन के लायक बनाए रखना है, तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ग्राम स्तर तक वातावरण बनाने और इसमें किसानों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान नीति आयोग द्वारा नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मंत्रालय से वर्चुअली शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला को गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने संबोधित किया। प्रथम-सत्र नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. रवि कुमार की अध्यक्षता में हुआ। राज्यों में प्राकृतिक खेती पर हुए प्रथम तकनीकी-सत्र में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी वर्चुअली अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में 52 जिले हैं। प्रारंभिक रूप से प्रत्येक जिले के 100 गाँव में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। वर्तमान खरीफ की फसल से प्रदेश के 5,200 गाँव में प्राकृतिक खेती की गतिविधियाँ आरंभ होंगी। वातावरण-निर्माण के लिए प्रदेश में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। मई माह में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला की जायेगी। अब तक प्रदेश के 1 लाख 65 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती में रूचि दिखाई है। नर्मदा जी के दोनों ओर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस प्रकार हरित क्रांति के लिए किसानों को रासायनिक खाद पर सबसिडी और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई उसी प्रकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना और सहयोग करना आवश्यक है। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है। देसी गाय से ही प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक जीवामृत तथा धनजीवामृत बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने के लिए 900 रुपये प्रति माह अर्थात 10 हजार 800 रूपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए किसानों को 75 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। प्राकृतिक खेती के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक विकासखंड में 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक गाँव में किसान मित्र और किसान दीदी की व्यवस्था भी होगी, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं और मास्टर ट्रेनर को मानदेय भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती की अवधारणा को व्यवहार में लाने के लिए वे स्वयं 5 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करेंगे। साथ ही राज्य मंत्रि-परिषद के सभी सदस्य और प्रदेश के किसानों से यह आहवान किया गया है कि वे अपनी-अपनी कृषि योग्य भूमि में से कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को अपनायें। इससे क्षेत्र के किसान प्रेरित होंगे और प्राकृतिक खेती के सकारात्मक परिणाम देखकर अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती की दृष्टि से उपयुक्त है, यहाँ जनजातीय बहुल 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में परंपरागत रूप से रसायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है।

गेहूँ उपार्जन में 24 हजार 762 किसानों को 344 करोड़ का हुआ भुगतान

1107 करोड़ के भुगतान-पत्र हुए तैयार

भोपाल : प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फेज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में गेहूँ की बम्पर पैदावार से उपार्जन की प्रक्रिया तीव्र गति से की जा रही है। रविवार 24 अप्रैल तक गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध 24 हजार 762 किसानों के खाते में 344 करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है।

35 हजार किसानों को प्रतिदिन 500 करोड़ के भुगतान का लक्ष्य

अब तक गेहूँ की कुल उपार्जित मात्रा 25 लाख 76 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 1107 करोड़ रूपये के भुगतान-पत्रक तैयार किये जा चुके हैं। साथ ही 23 अप्रैल तक कुल उपार्जित गेहूँ के भुगतान संबंधी सभी कार्यवाही परीक्षण सहित पूरी कर ली गई हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध किसानों को 2 मई 2022 तक सभी लंबित भुगतान पूरे कर दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप 35 हजार किसानों के खाते में लगभग 500 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किये जाने का लक्ष्य है। खाद्य विभाग द्वारा पहली बार किसान को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने एवं भुगतान की गई राशि को भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिये उपार्जित गेहूँ का भुगतान किसानों के आधार नंबर आधारित बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।

कृषि विभाग के नवाचारों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिली सराहना

खरीफ अभियान-2022 के लिये कृषि विभाग की नई दिल्ली में हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस

भोपाल : मध्यप्रदेश में कृषि विभाग द्वारा किये जा रहे अभिनव प्रयासों को नई दिल्ली में भारत सरकार के कृषि एवं किसान-कल्याण विभाग द्वारा गत दिवस आयोजित "नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैम्पेन-2022" में सराहना मिली है। संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सभी राज्यों के कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष एवं कृषि वैज्ञानिक उपस्थित हुए।

संचालक कृषि श्रीमती नायक ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश में उर्वरक उपलब्धता के बेहतर प्रबंधन के लिये अपनाई जा रही 'प्री-पोजिशनिंग प्रणाली', बीज की गुणवत्ता और चिन्हांकन के लिये 'थ्री-डी चेको क्यू.आर. कोड' तकनीक, कीटनाशकों की गुणवत्ता नमूना परीक्षण के लिये 'पेस्टीसाइड क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर', पराली जलाने को रोकने के लिये प्रणाली एवं प्रभावी कार्रवाई, तीवड़ा उन्मूलन के लिये उठाये गये प्रभावी कदम, किसान एप, कस्टम हॉयरिंग सेंटर, माँग आधारित फसल विविधीकरण को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे कॉन्फ्रेंस में सराहा गया।

संचालक कृषि श्रीमती नायक ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कृषि आदान, उर्वरक, बीज, पौध-संरक्षण, औषधि इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता के लिये रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें नेचुरल फार्मिंग, मेकेनाइजेशन, डिजिटल एग्रीकल्चर एण्ड पीएम किसान, धान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ ही अन्य योजनाओं और विषयों पर भारत सरकार के संबंधित संयुक्त सचिवों द्वारा प्रजेंटेशन दिये गये।

डीएपी के एक बेग पर रु. 2501 की सब्सिडी

इंदौर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण,युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा अन्य विषयों के साथ ही कृषि के क्षेत्र में किसानों डीएपी पर दी गई सब्सिडी की जानकारी दी गई ,जिसके अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए डीएपी के एक बेग पर 2501 रुपए की घोषणा की गई।

श्री ठाकुर ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने से कई कारणों से चीजों के दाम बढे हैं , जिससे कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि किसानों की लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो , इसीलिए किसानों पर बोझ नहीं बढ़ने दिया और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत इस वर्ष सिर्फ खरीफ सीजन के लिए 60 ,939 करोड़ रु की सब्सिडी तय की गई है ,जबकि वर्ष 2020 -2021 में पूरे साल का कुल बजट ही 57,150 करोड़ रु का था। उर्वरक सब्सिडी इस साल बढ़ाकर 1,62 ,184 करोड़ कर दी गई है।

श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2020 -21 में जहाँ डीएपी के एक बेग पर 512 रु की सब्सिडी दी गई थी , उसे अब पांच गुना बढ़ाकर खरीफ सीजन के लिए 2501 रु प्रति बेग कर दिया गया है अर्थात डीएपी के एक बेग का अधिकतम मूल्य 1350 ही रहेगा। बाजार के उतार-चढ़ाव का किसानों की लागत पर कोई प्रभाव न पड़े इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इसी तरह एनपीके और यूरिया में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने एनबीएस योजना के तहत न्यूट्रिएंट्स के लिए प्रति किलो सब्सिडी की जो घोषणा खरीफ 2022 -23 (1 अप्रैल से 30 सितंबर) के लिए की है वह इस प्रकार है -नाइट्रोजन -91.96, फास्फोरस -72.74, पोटाश -25.31 और सल्फर -6.94 प्रति किलो निर्धारित की गई है।

गेंहू निर्यात की गति बढ़ाने एम.डी. मंडी बोर्ड और डी.आर.एम. भोपाल ने की बैठक

भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विकास नरवाल और डी.आर.एम. भोपाल श्री सौरभ बन्दोपाध्याय ने राज्य के गेंहू के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात को बढ़ाने के लिए संयुक्त बैठक कर विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्यात संवर्द्धन के लिए सभी आवश्यक कदम प्राथमिकता से उठाएँ जाएंगे।

व्यापारियों और निर्यातकों को विभिन्न रेलवे रैक पोइंटों से रेलवे रैकों की उपलब्धता तत्परता पूर्वक कराने पर चर्चा हुई। डी.आर.एम. श्री बन्दोपाध्याय ने आश्वस्त किया कि गेंहू निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि रैक लोडिंग, रैक इन्डेन्ट की व्यवस्था, रेलवे रैक साइड पर लोजिस्टिक की व्यवस्था, फ्रीक्वेंट रैक मूवमेंट आदि के प्रबंध पुख्ता करेंगे। मंडी बोर्ड के अपर संचालक श्री डी. के. नागेन्द्र, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर पश्चिम मध्य रेलवे श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने किया फसल बीमा पाठशाला का शुभारंभ

भोपाल : केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार के "किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी" अभियान में "फसल बीमा पाठशाला" का शुभारंभ किया। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सवा दस करोड़ से ज्यादा किसानों को 1.15 लाख करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने विभिन्न राज्यों के किसानों से संवाद किया। मध्यप्रदेश के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल मंत्रालय से वर्चुअली शामिल हुए।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ-2016 से खरीफ-2021 तक प्रतिवर्ष औसतन साढ़े 5 करोड़ किसानों

फसल बीमा पाठशाला से किसान होंगे लाभान्वित : कृषि मंत्री श्री पटेल

ने बीमा योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन किये। अब तक योजना में किसानों द्वारा जमा किये गये 21 हजार करोड़ रूपये के प्रीमियम भुगतान के बदले में 1.15 लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि के बीमा दावों का भुगतान किया जा चुका है। श्री तोमर ने फसल बीमा पाठशाला में योजना के लाभार्थी किसानों से कृषि दूत बनकर अन्य किसानों को प्रेरित करने का आव्हान किया।

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री पटेल ने किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित करने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्रीद्वय श्री कैलाश चौधरी एवं सुश्री शोभा करंदलाजे और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मध्यप्रदेश के किसानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया। मंत्रालय में संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल नायक और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जब हमारा किसान आत्म-निर्भर होगा, तो गाँव आत्म-निर्भर होंगे और हमारा राष्ट्र भी आत्म-निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि देश में 65 प्रतिशत से अधिक लोग खेती-किसानी का कार्य करते हैं। वैश्विक आपदा कोरोना काल में जब सभी घरों में थे, तब किसान और श्रमिक खेतों में पसीना बहा रहे थे। उस विपदा की घड़ी में भी अन्नदाता किसानों की बदौलत हमें अन्न, दूध और फल-सब्जियाँ प्राप्त हो सकी। श्री पटेल ने अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सदैव किसानों की चिंता की है। उन्होंने किसानों को घाटे की खेती से उबारने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये न केवल विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ बनाई, बल्कि उनका बेहतर मेंदानी क्रियान्वयन भी किया। किसानों को सिंचाई के लिये पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का पुनीत कार्य भी किया है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सभी किसान भाई अपनी फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से करायें और योजना से लाभान्वित हों।

अनेक देशों में हुआ मध्यप्रदेश के गेहूँ का निर्यात : खाद्य मंत्री श्री सिंह

भोपाल : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मिस्र (इजिप्ट) की शासकीय उपार्जन संस्था द्वारा भारत के गेहूँ के आयात को मान्यता प्रदान की है। खाद्य मंत्री श्री सिंह वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में अप्रैल माह तक मध्यप्रदेश से गेहूँ निर्यात की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण गेहूँ की बम्पर पैदावार के बाद अनेक देशों में गेहूँ का निर्यात किया गया, जिससे विदेशी राजस्व की भी प्राप्ति हुई।

वनवासियों को जंगल की मालिकी दिलवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश को बीमारू से विकसित राज्य बनाया

तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभांश राशि का किया वितरण

म.प्र. में साढ़े सात लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के विकास का मार्ग हुआ प्रशस्त

26 जिलों के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का हुआ शुभारंभ

मध्यप्रदेश ने किया युग परिवर्तनकारी कार्य

जनजातीय विकास के लिए मध्यप्रदेश में उठाए गए कदम देश में अनुकरणीय

जबलपुर में जनजातीय वर्ग के लिये की गई घोषणाओं पर शिवराज ने किया अमल

मध्यप्रदेश के वनवासियों ने हरियाली बढ़ाने का किया कार्य

तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब 250 रूपये प्रति सौ गड्डी के स्थान पर मिलेंगे 300 रूपये

भोपाल : केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश, वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने वाला देश का पहला राज्य है। मध्यप्रदेश ने यह युग परिवर्तनकारी कार्य किया है। गत सितंबर माह में जबलपुर में जनजातीय समाज के विकास के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूर्ण करने में मध्यप्रदेश सरकार सक्रिय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन घोषणाओं को पूरा करते हुए अमल में लाना प्रारंभ कर दिया है। अंग्रेजों के समय से सरकार के पास जंगलों का स्वामित्व था। अब मध्यप्रदेश में कीमती सागवान लकड़ी के साथ ही अन्य वन संपदा की 20% राशि के मालिक वनवासी होंगे। जनजातीय समुदाय के हक में लागू की गई ये बड़ी पहल है। मध्यप्रदेश में देश की सबसे अधिक 21% जनजाति आबादी निवास करती है। इनके कल्याण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह आज जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निरंतर कार्य किया है। मध्यप्रदेश अब विकसित राज्यों में शामिल है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, पर्याप्त बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य शिवराज जी के नेतृत्व में हुए हैं। जनजातीय क्षेत्र कल्याण के लिए मध्यप्रदेश की पहल पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि वनवासी क्षेत्र के सभी लोग अधिकार के साथ जिये, यह उनका स्वप्न है, जिसे साकार किया जा रहा है। आज बाँस और अन्य उत्पादन के लिए राशि वितरण के साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों को करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। मध्यप्रदेश के 925 में से 827 वन ग्राम को राजस्व ग्रामों की तरह सुविधाएँ देने की शुरूआत हुई है। यहाँ परिसिमन हो सकेगा, आवास के लिए ऋण मिल सकेगा और राजस्व के सभी अधिकार वनवासियों को प्राप्त होंगे। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि वनवासी आज स्वाभिमान के भाव के साथ वापस जाएंगे। प्रदेश में 15 हजार 600 से अधिक ग्राम सभाओं में वन समितियों के माध्यम से प्राथमिकता से कार्य किए जा सकेंगे।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि सरकार को प्रधानमंत्री श्री मोदी समाज के वंचित और दलित वर्गों की सरकार की पहचान देने में सफल रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक सभी को अपना घर देने का भी संकल्प है। श्री शाह ने कहा कि देश में शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला के 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए है। हर घर में नल से जल पहुँचाने की पहल जल जीवन मिशन से हो रही है। वर्ष 2024 तक यह कार्य पूरा होगा। आयुष्मान योजना में 5 लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है। कोरोना काल में नि:शुल्क अनाज देने की सुविधा दी गई। वैक्सीनेशन का लाभ नागरिकों को दिया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना में खाद्यान्न वितरण के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार की महिलाओं को 1000 रूपये का आहार अनुदान भी दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश द्वारा 19.7 प्रतिशत विकास दर हासिल करना बड़ी बात है। मध्यप्रदेश में गत 10 वर्ष में 200% सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, जो अन्य राज्यों में नहीं हुई। प्रदेश में पूँजीगत व्यय 31 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 40 हजार करोड़ तक हो गया है। भारत सरकार ने भी मध्यप्रदेश को 11 हजार करोड़ रूपये प्रदान किये हैं। जनजातीय वर्ग के कल्याण का बजट 4 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 7 हजार 524 करोड़ रूपये हो गया है। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास के लिये पूर्व सरकार की 21 हजार करोड़ की राशि को बढ़ाकर 78 हजार करोड़ रूपये तक पहुँचा दिया है। एकलव्य विद्यालयों के लिये 14 हजार 18 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिये विशेष कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी टीम को बढ़ते मध्यप्रदेश और जनजातीय वर्ग के कल्याण के ऐतिहासिक कार्य के लिए साधुवाद एवं बधाई दी।

827 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने रिमोट से बटन दबाकर वन ग्राम की जस्व ग्राम बनाने के कार्य की शुरुआत की। इस कार्य के लिए प्रदेश के 26 जिलों के 827 ग्राम चयनित किए गए हैं।

वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से वनवासियों की सँवर जाएगी जिंदगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए कार्य किया है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सभी दिशाओं में कार्य हो रहा है। प्रदेश में हरियाली को वनवासियों के सहयोग से बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन वितरण का कार्य हुआ है। जनजातीय बहुल विकासखंडों में घरों तक राशन पहुँचाने का कार्य किया गया है। वनवासियों के ही हित में पेसा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया गया है।इससे वनवासियों का हित होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह जल, जमीन और जंगल वनवासियों के हैं। वनों से अर्जित आय का हिस्सा प्राप्त कर वनवासी, वनों के विकास में सहयोग करेंगे। वन विभाग सहयोगी की भूमिका में होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है, इसका लाभ जनजाति वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग के लोगों को शिक्षण शुल्क सुविधा, उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और रोजगार के साधनों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया पर नियंत्रण के लिए भी कार्य हो रहा है। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल भी इस कार्य में मार्गदर्शन दे रहे हैं। वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बन जाने से बँटवारा और नामांतरण होने के साथ फसलों की गिरदावरी भी हो सकेगी। प्राकृतिक आपदा पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, आँगनवाड़ी और विद्यालय भवन स्वीकृत होंगे और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। तालाबों का निर्माण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज प्रदेश के 22 लाख हितग्राहियों के खाते में 125 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। यह वनवासी भाई-बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 250 रूपये प्रति सौ गड्डी के स्थान पर अब 300 रूपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफियाओं से 21 हजार एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। इस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख आवास निर्मित हुए हैं। इस वर्ष 10 लाख और अगले वर्ष भी 10 लाख आवास निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए 10 हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। आयुष्मान योजना का लाभ नागरिकों को मिल रहा है। संबल योजना पुन: प्रारंभ की गई है। कोरोना काल में विद्युत देयक संबंधी राहत देकर शासन ने 6400 करोड़ रूपये के देयकों को स्थगित किया है। कन्या विवाह योजना में अब 55 हजार रूपये की राशि दी जा रही है

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय जनशक्ति और खाद्य प्र-संस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मत्स्य-पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल. मुरूगन, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्री कल सिंह भाबर, मध्यप्रदेश के वन मंत्री श्री विजय शाह, गृह, जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह उपस्थित थे।

सम्मेलन के प्रारंभ में बुंदेलखंड के प्रख्यात लोक नृत्य "बधाई" की प्रभावशाली प्रस्तुति हुई।

मध्यप्रदेश की वन समितियों ने किया शानदार काम

लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार

भोपाल : मध्यप्रदेश में सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन, संरक्षण एवं सुधार की दिशा में वन समितियों के माध्यम से शानदार काम किया गया है जो पूरे देश में अनूठा है। इन वन समितियों से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से भी सशक्त हुए हैं।

वन समितियों के उल्लेखनीय काम

सतना की ग्राम वन समिति गोदीन ने गोंड जनजाति की महिलाओं को सॉफ्ट टॉय बनाने का प्रशिक्षण ग्रीन इंडिया मिशन में दिया है। इसी प्रकार सीधी वन मंडल की ग्राम वन समिति बम्हनमरा ने बिगड़े वन क्षेत्र में काम करना शुरू किया और अवैध कटाई, चराई, अतिक्रमण से जंगलों की सुरक्षा की। समिति को महुआ फूल, गुल्ली, अचार, जलाऊ लकड़ी मिल रही है।

बालाघाट की ग्राम समिति अचानकपुर ने बाँस-रोपण क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। बाँस के दोहन से समिति को एक लाख रूपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। वन मंडल सीधी की ग्राम वन समिति ने वन विहीन पहाड़ी में काम करना शुरू किया और अपने परिश्रम से इसे सघन सागौन वन में बदल दिया। समिति को सागौन की बल्लियों से आर्थिक लाभ भी हुआ। वन मंडल पश्चिम मंडला की ग्राम वन समिति मनेरी ने वन विहीन पहाड़ी को हरा-भरा बना दिया। इसी प्रकार अन्य समितियाँ भी अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार के सहयोग से शानदार काम कर रही हैं।

प्रदेश का वनक्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर है जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह देश के कुल वन क्षेत्र का 12.3% है। प्रदेश के 79 लाख 70 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रबंधन में जन-भागीदारी के लिये 15 हजार 608 गाँवों में वन समितियाँ काम कर रही हैं। पिछले एक दशक में 1552 गाँवों में वन समितियों ने 4 लाख 31 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुधार किया है। जब पूरी दुनिया में वनों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय इन समितियों ने वन विभाग के साथ मिलकर शानदार काम किया है।

राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, वनोपज संग्रह करने वाले परिवारों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। संघ के नवाचारी उपायों से तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। तेंदूपत्ता सीजन में 2021 कोविड-19 के कारण लॉक-डाउन के बाद भी तेंदूपत्ता संग्रहण कराकर दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय परिवारों को 415 करोड़ रूपये का पारिश्रमिक दिलाया गया और 192 करोड़ का लाभांश भी वितरित किया गया।

पुरानी नीति में 70 फीसदी लाभांश संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाता था। साथ ही 15% राशि संग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए और 15% राशि वन क्षेत्रों में लघु वन उपज देने वाली प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास पर खर्च की जाती थी। अब "पेसा अधिनियम" की भावना के अनुसार तेंदूपत्ता के व्यापार से होने वाले लाभ का 75% संग्राहकों को, 10% राशि संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए और 10% राशि वन क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के संरक्षण तथा 5 प्रतिशत ग्राम सभाओं को दी जाएगी।

वन विभाग द्वारा नए संकल्प में राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के प्रवेश से मिलने वाली राशि का 33% वन समितियों को देने का प्रावधान किया गया है । समितियों को आवंटित क्षेत्र में ईको पर्यटन का कार्य संचालित करने के लिए सशक्त किया गया है। इससे होने वाली आय वन समिति को मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने के अवसर मिलेंगे।

वन समितियों का माइक्रो प्लान

प्रदेश के एक तिहाई गाँव वन क्षेत्रों के अंदर या उसके आसपास बसे हैं। वहाँ के निवासियों की आजीविका वनों पर आधारित है।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में इस साल के आखिर तक 5 हजार वन समितियों का माइक्रो प्लान तैयार करने का लक्ष्य है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ग्राम समुदाय अपनी आवश्यकता की वनोपज का उत्पादन कर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

लाभांश में वृद्धि

वन समितियों को दिए जाने वाले लाभांश में वृद्धि की गई है। पहले जिला स्तर पर शुद्ध लाभ की राशि का 20 फीसदी मिलता था, जिसकी वजह से राशि का वितरण केवल कुछ ही जिलों में हो पाता था। अधिकांश समितियाँ लाभ से वंचित रह जाती थी। नए संकल्प के अनुसार प्रत्येक समिति को उसके क्षेत्र में से किए गए दोहन से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पहले काष्ठ एवं बाँस का 50 करोड़ रूपए तक का लाभांश वितरण होता था। अब लगभग 160 करोड़ प्रति वर्ष हो रहा है।

ग्राम सभाओं को सौंपा अधिकार

वन समितियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का अधिकार अब ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। वन समिति की कार्यकारिणी में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लोगों को शामिल करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में अनेक प्रकार की वनोपज का उत्पादन होता है। इसमें महुआ, तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और चिरौंजी प्रमुख है। पेसा कानून की भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों का पूरा अधिकार सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ऐसे निर्णय लिये गये हैं, जो वन समितियों से जुड़े संग्राहक परिवारों के लिये परिवर्तनकारी साबित हुए हैं। वन समितियों को भरपूर आर्थिक लाभ हुआ है। उदाहरण के लिये 32 वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से करीब 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। तेंदूपत्ता व्यापार के शुद्ध लाभ का 70 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत देने से 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है।

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में लगातार वृद्धि की गई है। इसी के अनुपात में पारिश्रमिक और बोनस का भुगतान भी किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2005 में प्रति मानक बोरा ₹400 थी, जो अब बढ़कर 2500 सौ रूपये प्रति मानक बोरा हो गई है।

पारिश्रमिक का भुगतान वर्ष 2005 में ₹67 करोड़ रूपये होता था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 415 करोड़ रूपये हो गया है। संग्राहकों के बच्चों के लिए एकलव्य शिक्षा योजना पिछले ग्यारह साल से चल रही है, जिससे अब तक 1712 बच्चों को शिक्षा के लिये 2 करोड़ एक लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता नीति पर दो दिवसीय....

राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने, खाता रखने और लेखा परीक्षा सहित शासन को मजबूत करने के लिए सुधार।

इस सत्र की अध्यक्षता श्री. मनोज आहूजा, सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने किया तथा श्री मनिंदर सिंह, अपर मुख्य सचिव (सहकारिता), असम सरकार के साथ श्री. अनूप कुमार, अपर मुख्य सचिव (सहकारिता), महाराष्ट्र सरकार ने सत्र की सह-अध्यक्षता की।

(iii) बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पूंजी तक पहुंच, गतिविधियों का विविधीकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग, विपणन, व्यवसाय योजना विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात को बढ़ावा देकर बहु सहकारी जीवंत आर्थिक संस्थाएं इस सत्र की अध्यक्षता श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार और श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार के साथ श्री शैलेश कुमार सिंह, विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने इस सत्र की सह अध्यक्षता की थी।

(iv) प्रशिक्षण, शिक्षा, ज्ञान साझा करना और जागरूकता निर्माण जिसमें सहकारी समितियों को मुख्यधारा में लाना, प्रशिक्षण को उद्यमिता से जोड़ना, महिलाओं, युवा और कमजोर वर्गों को शामिल करना शामिल है।

इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, सचिव (डेयर) ने किया ।

(v) नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, निष्क्रिय लोगों को पुनर्जीवित करना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्यता बढ़ाना, सामूहिकता को औपचारिक बनाना, सतत विकास के लिए सहकारी समितियों का विकास करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और नए क्षेत्रों की खोज करना।

इस सत्र की अध्यक्षता श्री के वी शाजी, उप प्रबंध निदेशक नाबार्ड ने की |

(vi) सामाजिक सहकारिता को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका।

इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. अशोक दलवई, सीईओ, एनआरएए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने की|

माननीय सहकारिता तथा डोनर राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा ने सम्मेलन का समापन अपने भाषण के द्वारा किया तथा सहकारिता के ऊपर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया| इस प्रकार, सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में मंत्रालय इस तरह के कई सम्मेलन आयोजित करेगा| इन प्रयासों के फलीभूत नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का सृजन होगा जो सहकारिता प्रक्षेत्र के विकास को तीव्र गति प्रदान करते हुए सहकार से समृद्धि के मंत्र साकार करने में सहायक सिद्ध होगा|

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों.....

अनुसार समितियों का कार्य क्षेत्र बनाया जाए। उन्होंने बताया कि गेहूँ उपार्जन में बिचौलिए लाभ न ले सकें, इसके लिए जिले में दतिया मॉडल लागू किया गया है। सांसद श्री उइके एवं विधायक डॉ. पंडाग्रे द्वारा सहकारिता क्षेत्र में बेहतर कार्य से संबंधित आवश्यक सुझाव भी दिए गए।

जिले में सहकारिता क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के महाप्रबंधक ने दी। उन्होंने बताया कि विगत दो वर्षों में बैंक की अमानतों में 164 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। आत्म-निर्भर भारत योजनांतर्गत सहकारी बैंक से संबद्ध 91 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सामान्य सुविधा केन्द्र में एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटरों का पंजीयन कर संस्थाओं में सामान्य सुविधा केन्द्र प्रारंभ किए गए है। वर्ष 2021-22 में बैंक द्वारा खरीफ कृषि ऋणों में 51 करोड़ एवं रबी में 13 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है। पशुपालन केसीसी में 764 प्रकरण एवं मत्स्य पालन केसीसी के 320 प्रकरण स्वीकृत कर कृषकों को लाभान्वित किया गया है। गत वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र 35 हजार 447 कृषकों में से 32 हजार 583 कृषकों को पूर्व से ही केसीसी कार्ड वितरण कर ऋण प्रदाय किया गया है। शेष 1662 कृषकों में से 1477 कृषकों को केसीसी कार्ड वितरण कर राशि 785 लाख 26 हजार की साख सीमा स्वीकृत कर ऋण वितरण किये गये। जिले की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। बैंक की शाखाओं से आरटीजीएस/एनईएफटी, एसएमएस अलर्ट, डीबीटीएल एवं एटीएम तथा वर्तमान में बीबीपीएस की भी सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। भविष्य में शीघ्र ही किसानों को नेट बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में बताया गया कि जिले में संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 60 गोदाम, 150 मीट्रिक टन क्षमता वाले 6 गोदाम एवं 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कंज्यूमर शॉप के 76 गोदाम बनाए गए हैं। मल्टी सर्विस सेंटर हेतु एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के चार गोदाम एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के 10 गोदाम बनाए गए हैं।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को गबन, धोखाधडी एवं अंकेक्षण, विभागीय कार्य निष्पादन पर प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के मार्गदर्शन में सहकारी आंदोलन को सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है –

दिनांक 18 से 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से 22 अप्रैल, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल एवं 27 से 28 अप्रैल 2022 तक चार सत्र में गबन, धोखाधडी एवं अंकेक्षण, विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें – भारतीय दंण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दस्तावेज (सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में), गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान, संस्थाओं के वित्तीय पत्रको का परीक्षण तकनीकी पैरामीटर के आधार पर–सी.आर., ए.आर, एन.पी.ए एवं अन्य पैरामीटर

पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना, सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधड़ी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण (साख संरचना कें परिप्रेक्ष्य में), संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम.आर. एकाउन्ट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त करना, संस्थाओं के वित्तीय पत्रको के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी (जी.एस.टी., इंकम टैक्स आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना , सहकारी संस्थाओं को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं अन्य पृथक वैधानिक प्रतिवेदन , वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम , प्रशासक, निर्वाचन अधिकारी,परिसमापक, अंकेक्षक, कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन, कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व, संवेगात्मक बुद्वि, वर्क लाइफ बैलेंस (समय, एवं तनाव प्रबंधन), पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के 100 प्रतिभागी उपस्थित रहे।

प्रदेश के पैक्स प्रबंधकों को समर्थन मूल्य की खरीदी व आर्बीटेशन प्रकरण तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। पैक्स प्रबंधकों हेतु लीकेज (हानि) की रोकथाम एवं समर्थन मूल्य की खरीदी व आर्बीटेशन प्रकरण तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण दिनांक 13 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022 तक एक–एक दिवसीय 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसमे 292 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा पैक्स प्रबंधकों को पैक्स में लिकेज(हानि) के कारण एवं नियंत्रण के उपाय, पैक्स पर कर दायित्व, जीएसटी एवं आयकर का रिटर्नस तथा पैनाल्टी, समर्थन मूल्य खरीदी में क्षति की पूर्ति हेतु आर्बीट्रेशन के तहत दावा प्रस्तुत करना एवं प्रबंधक की भूमिका, आर्बीट्रेशन की प्रक्रिया, दावा प्रस्तुति हेतु वैधानिक कार्यवाही, समर्थन मूल्य खरीदी, बिल प्रस्तुत करना, क्लेम पत्रक तैयार करना एवं आडिट कराना आदि की प्रक्रिया एवं प्रबंधक की भूमिका विषयों पर विषय विशेषज्ञों – श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री प्रदीप नीखरा, से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री पी.के.एस. परिहार, से.नि. वरि.प्रबंधक, अपेक्स बैंक, श्री अंशुल अग्रवाल एवं श्री योगेश जैन चार्टड एकाउंटेंट, श्री डी.के. सक्सेना व श्री अनूप शर्मा वरि. अधिवक्ता, श्री अविनाश सिंह व श्री संजय सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड एवं अकृषि ऋण उपलब्ध करायें - संजय गुप्ता

भोपाल। मध्यप्रदेश के 14 आर्थिक रूप से कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नाबार्ड मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के संयुक्त तत्वावधान में अपेक्स बैंक भोपाल के समन्वय भवन स्थित सभा कक्ष में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल श्री संजय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री अरविंद सिंह सेंगर, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री संजय ताल्लुकदार, उप महाप्रबंधक श्री कमर जावेद, अपेक्स बैंक की वर्तमान में प्रभारी प्रबंध संचालक श्रीमती अरूणा दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ श्री के.के. द्विवेदी उपायुक्त, सहकारिता श्री एच.एस. वाघेला, सहायक महाप्रबंधक श्री आर.एस. चंदेल सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर आयुक्त सहकारिता श्री संजय गुप्ता ने निर्देश दिये कि व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमें प्रदेश के सहकारी बैंकों की उज्जवल छवि बनाये रखकर पारदर्शी आधुनिक कार्यप्रणाली के माध्यम से अपने आपको व्यवसायिक बैंकों से बेहतर साबित करने की दिशा में सतत प्रयास जारी रखना होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी बैंक सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड एवं अकृषि ऋण उपलब्ध करायें, राज्य शासन द्वारा इसके लिये प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्धर कराई जायेगी।

पंजीयक श्री संजय गुप्ता ने निर्देशित किया कि 30 जून के पूर्व प्रदेश के सभी जिला बैंकों एवं प्राथमिक समितियों के सांविधिक अंकेक्षण का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाये।

बैठक में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री कमर जावेद ने बैठक का संचालन करते हुये बैंकों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रजेन्टेशन देते हुए यह अपेक्षा कि सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित समय–सीमा में यदि अपना रिकंसीलेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तो इससे सहकारी बैंको की स्थिती सुदृढ़ होगी। नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री संजय ताल्लुकदार द्वारा अपेक्षा की गई कि सभी जिला बैंक ऋणों की समय पर वसूली हेतु सघन प्रयास करे ताकि बैंकों के एन.पी.ए. में कमी लाई जा सके।

संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री अरविंद सिंह सेंगर ने बैठक में कहा कि वित्तीय प्रबंधन हेतु आवश्यकता होने पर जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आउटसोर्स के माध्यम से चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवायें प्राप्त कर समय सीमा में कार्य सम्पन्न कराये।

अपेक्स बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री के.के. द्विवेदी ने बैठक में निर्देशित किया कि सभी जिला बैंकों द्वारा बैठक में प्राप्त निर्देशों का अक्षरसः पालन कराते हुये प्रगति की जानकारी से समय–सीमा में अपेक्स बैंक, सहकारिता विभाग एवं नाबार्ड को अवगत कराया जावे। बैठक के अंत में आभार प्रदर्शन अपेक्स बैंक की वर्तमान प्रभारी प्रबंध संचालक श्रीमती अरूणा दुबे ने किया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

रतलाम। समुद्र मंथन से मिला अमृत तो देवताओं को मिला किन्तु कामधेनू के माध्यम से अमृत तुल्य दूध मनुष्यों को मिला। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक दूध सभी के लिये उपयोगी है। दूध एवं दूध से बने सभी पदार्थ स्वास्थ्य के लिये लाभदायी है।

उक्त विचार उज्जैन दुग्ध संघ के महाप्रबंधक डॉ. अशोक खरे ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। श्री खरे ने कहा कि वर्षों से हानि में चल रहा दुग्ध संघ अब लाभ में आया है। इससे दुग्ध उत्पादक किसानों को समय पर दुग्ध का मूल्य मिल सकेगा तथा अनेक योजनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होगा।

जिला सहकारी संघ मर्यादित रतलाम द्वारा जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों में जागरूकता लाने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य विषय''स्वच्छ दुग्ध संकलन – दुग्ध उत्पादन वृद्धि'' विषय पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उज्जैन दुग्ध संघ (समन्वयक क्षेत्र संचालन) महाप्रबंधक पी.के. रेड्डी ने कहा कि शिक्षा प्रशिक्षण से गुणवत्ता व कार्य करने की उर्जा प्राप्त होती है। गांव–गांव में शुद्ध दूध का संकलन हो तथा दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरूद्ध शर्मा ने दिया। कार्यक्रम को दुग्ध शीत केन्द्र रतलाम के प्रबंधक क्षेत्र संचालन पी.के. भट्ट ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा ने किया। आभार प्रदर्शन जिला सहकारी संघ के जनसम्पर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट ने किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मॉ सरस्वती पूजन एवं अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत सहायक मार्ग पर्यवेक्षक एस.एस. चन्द्रावत, डी.एस. राठौर, जी.एल. सोलंकी, एन.एल. पाटीदार, जी.एल. पाटीदार, हरीश लबाना, कृष्णकुमार मोतीलालजी, गोपाल शर्मा, पंकज पाटीदार, मेहरबानसिंह, रणजीत पाटीदार, भालचन्द्र रावल, भरत पांचाल, घनश्याम पाटीदार, पवन गरासिया, अर्जुन, राहुल पाटीदार आदि ने किया।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित,
भोपाल द्वारा संचालित
(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु
सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)
माध्यम - ऑनलाईन
योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/
प्रवेश की अंतिम तिथि – 31 मई 2022
कुल फीस - 20200/-
ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के
पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158
Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001
फोन- 0761-2341338 मो. 9424782856 , 8827712378
Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव
जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201
फोन- 07685-256344 मो. 9630661773
Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।